राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–08 (लो0सू0अ0)/2023–24

डॉ॰ वी॰पी॰एन॰ पाठक, पूर्व प्राचार्य निराला नगर, सिवान

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना, बिहार

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
16.01.2023	डॉ॰ वी॰पी॰एन॰ पाठक, पूर्व प्राचार्य निराला नगर, सिवान के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–03.01.2023 इस कार्यालय में दिनांक–11.01.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का चेक संलग्न है। इसे लेखा शाखा को अविलंब हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता डॉ॰ वी॰पी॰एन॰ पाठक ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–05.12.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने तथा धारा–8 (e) की गलत व्याख्या करने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–05.12.2022 की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–05.12.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक– 06.02.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 16/1/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या–08 / 2023–24 (84 / 2022–2023)

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
06.02.2023	दिनांक–16.01.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–आर॰टी॰आई॰ / विविध–07 / 2023–08 / रा॰स॰ (i) दिनांक–09.01.2023 के माध्यम से अपीलार्थी श्री डॉ॰ वी॰पी॰एन॰ पाठक, पूर्व प्राचार्य, डी॰ए॰वी॰ कॉलेज, निराला नगर, सिवान–841226 को उनके प्रपत्र 'क' दिनांक–26.12.2022 के आलोक में सूचना प्रेषित किया गया है। विदित हो कि अपीलार्थी डॉ॰ पाठक ने अपने प्रथम अपील आवेदन में प्रपत्र 'क' समर्पित करने की तिथि 05.12.2022 अंकित की है, जबकि अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–26.12.2022 की छायाप्रति संलग्न किया है। उक्त के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है तथा उन्होंने यह प्रतिवेदित किया है कि अपीलार्थी को प्रपत्र 'क' दिनांक–26.12.2022 के आलोक में सूचना का प्रेषण किया जा चुका है तथा उपलब्ध कराई गई सूचना में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–8 (e) का कोई उल्लेख नहीं है। अपीलार्थी डॉ॰ पाठक ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष यह अपील सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण दायर किया था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जब लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रपत्र 'क' दिनांक–26.12.2022 के आलोक में सूचना का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्राप्त अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 6/2/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	